

20.08.2024:-पत्रावली पेशी मे ली गई। उभयपक्ष उपस्थित।
प्रार्थी का मूल वादपत्र डिकी हो गया। मूल वाद पत्र
डिकी होने के कारण प्रार्थना पत्र मे कोई कार्यवाही
शेष नही रह जाती। मूल वादपत्र खारिज डिकी होने
के कारण प्रार्थी का उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा
212 आर.टी.ए. मे वर्तमान स्तर खारिज कि जाती है।
पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज
तकमील दाखिल दफतर हो।



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Raj' or similar, located at the bottom right of the page.